चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4349
दिनांक : 9-2-2026

संशोधित पत्र

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः एन0ई0पी0 के मानकों एवं गुणवत्ता की मासिक समीक्षा के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–3048/सत्तर–3–2025–1959339 दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में एन0ई0पी0 के मानको एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में SLQAC की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में समस्त राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर पत्र में दिये गये लिंक https://forms.gle/Rb5KRUhVms1SmEHQ7 पर समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

CIR_19 (84)

संख्या-3048/सत्तर-7 2025-1959339

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

विषयः एन०ई०पी० के मानकों एवं गुणवत्ता की मासिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि SLQAC की कार्यकारिणी बैठक में ,RQAC के माध्यम से प्रत्येक RHEO द्वारा उनके क्षेत्र के अधीन संचालित महाविद्यालयों में NEP के मानकों एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में SLQAC को मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, उक्त के क्रम में गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु निम्न व्यवस्था बनायी जाती है :-

(1) प्रत्येक महाविद्यालय पर RHEO द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) के अनुसार सूचना निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) निदेशक द्वारा उक्त सूचना का परीक्षण करते हुए एक समेकित रिपोर्ट परिषद को माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) निदेशक द्वारा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने से पूर्व ऐसे महाविद्यालय को चिन्हित किया जायेगा, जहां प्रारूप पर महाविद्यालय द्वारा NO अंकित किया गया है, उनकी विस्तृत समीक्षा कर सुधारात्मक कार्यवाही की जायगी तथा परिषद में प्रदत्त की जाने वाली समेकित रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जायेगा।

(4) यदि किसी महाविद्यालय द्वारा विगत 3 माह तक किसी मद में लगातार NO अंकित किया जाता है तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर से उक्त महाविद्यालय का विशेष निरीक्षण कराया जायेगा तथा उक्त के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(5) परिषद द्वारा SLQAC की मीटिंग में उक्त आदेशों के क्रियान्वयन तथा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(6) इस सम्बन्ध में मासिक रूप से कॉलेजवार सूचना एकत्रित करते हुए आई०टी० सेल द्वारा एम०आई०एस० विकसित किया जाएगा, जिस पर समस्त कालेजों द्वारा उक्त सूचना अंकित की जाएगी।

(7) जब तक एम०आई०एस० विकसित नहीं होता तब तक प्रथम चरण में राजकीय महाविद्यालय तथा अशासकीय सहायता महाविद्यालयों द्वारा गूगल शीट फार्म पर सूचना उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सूचना अंकित की जाएगी, एम०आई०एस० विकसित होने के उपरान्त समस्त महाविद्यालयों द्वारा सूचना अंकित की जाएगी। गूगल फार्म का लिंक निम्नवत है:
https://forms.gle/Rb5KRUhVms1SmEHQ7

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्य का समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 23.12.2025
15:41:57

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।